



Neutral Citation No. – 2026:AHC: 125088

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –

10366 वर्ष 2025

रिजवान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद शाफी, शुजाउद्दीन

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुजाउद्दीन, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी.

सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 577 सन् 2023, धारा 420, 308 भारतीय दण्ड संहिता तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की धारा 34, थाना टांडा, जनपद रामपुर में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, ताकि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सके।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त रहीमीन, बहारुल उर्फ निशा तथा चांदनी बाई को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक एक मेडिकल क्लिनिक का स्वामी बताया गया है, जो वैध पंजीकरण के बिना संचालित किया जा रहा था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह विचारण के दौरान सहयोग करने और जाँच एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होने के लिए तैयार है। यह भी कहा गया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जाँच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया।
6. सह-अभियुक्त रहीमीन, बहारुल उर्फ निशा तथा चांदनी बाई को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक एक मेडिकल क्लिनिक का स्वामी बताया गया है, जो वैध पंजीकरण के बिना संचालित किया जा रहा था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. यह उल्लेखनीय है कि **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, न्याय से भागने की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
 8. वर्तमान मामले में अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि के सिद्धांत, विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार से आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।
 9. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
 10. आवेदक **रिजवान**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-
- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने तक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

3 जून, 2026

आरकेएम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”